संख्या-155 /2020/976/चार-2020

प्रेषक,

शिशिर,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
संस्कृति निदेशालय, उ0प्र0,
जवाहर भवन, लखनऊ ।

**संस्कृति अनुभाग**: **लखनऊः दिनांक 01 दिसम्बर, 2020**

विषयः- वित्तीय वर्ष 2019-20 में उच्च निर्देशों के अनुपालन में कराये गये सांस्कृतिक कार्यक्रमों की कार्योत्तर प्रशासनिक/वित्तीय स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक अपने पत्र संख्या-218/सं0नि0-15(4)/2020-21,दिनांक 08 जून,2020 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- उल्लेखन्नीय है कि उच्च निर्देशों के अनुपालन में कराये गये सांस्कृतिक कार्यक्रमों की कार्योत्तर स्वीकृति वित्तीय वर्ष 2019-20 में शासनादेश सं0-106/2020/666/चार-2020 दिनांक 28.03.2020 द्वारा प्रदान की गयी थी, किन्तु बजट के अभाव में भुगतान नही हो सका।

3- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है किवित्तीय वर्ष 2019-20 में उच्च निर्देशों के अनुपालन में कराये गये सांस्कृतिक कार्यक्रमों हेतु रू0 9,06,993/-(नौ लाख छः हजार नौ सौ तिरानबे रूपये मात्र) की कार्योत्तर प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति के संबंध मेंउपलब्ध कराये गये प्रस्ताव पर शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त रू0 9,06,993/-(नौ लाख छः हजार नौ सौ तिरानबे रूपये मात्र) की कार्योत्तर प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति निम्न शर्तो के अधीन प्रदान की जाती है:-

(1) समस्त कार्यो का भौतिक सत्यापन कराने तथा भौतिक सत्यापन समिति की रिपोर्ट का अवलोकन करभुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

(2) उक्त स्वीकृति धनराशि का आहरण/ उपयोग नियमानुसार किया जायेगा। धनराशि आहरित करके बैंक/पोस्ट आफिस में जमा नहीं की जायेगी।

(3) उक्त स्वीकृति धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र तथा सम्पन्न कराये गये कार्यक्रमों पर व्यय विवरण , बिल बाउचर्स सहित उपलब्ध कराया जायेगा।

4- उक्त धनराशि रू0 9,06,993/-(नौ लाख छः हजार नौ सौ तिरानबे रूपये मात्र) कीचालूवित्तीय वर्ष 2020-21 के आय-व्ययक केअनुदान संख्या-92के अन्तर्गत लेखाशीर्षक-2205-कला एवं संस्कृति-001-निदेशन एवं प्रशासन-03-संस्कृति निदेशालय-42 अन्य व्यय मद में उपलब्ध धनराशि से वहन किया जायेगा।

भवदीय,
(शिशिर)
विशेष सचिव।

संख्या 155 /2020/976/(1)/चार-2020, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- प्रधान महालेखाकार, (लेखा व हकदारी) प्रथम, उ0प्र0 इलाहाबाद।
2- वित्त नियंत्रक, संस्कृति निदेशालय, उ0प्र0 जवाहर भवन, लखनऊ।
3- मुख्य कोषाधिकारी, कोषागार, जवाहर भवन, लखनऊ।
4- वित्त (लेखा) अनुभाग-1/वित्त (ई-7) अनुभाग
5- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
(शिशिर)
विशेष सचिव।

---

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in